भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 114

बुधवार, 14 दिसम्बर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्वदेशी खिलौनों को बढ़ावा देना

*114. **श्री चंद्र शेखर साहू:**
श्री गिरीश भालचंद्र बापट:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत में खिलौना उद्योग ऐतिहासिक रूप से आयात पर निर्भर रहा है; यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;
(ख) क्या कच्चे माल, प्रौद्योगिकी, डिजाइन क्षमता आदि की कमी के कारण खिलौनों और उनके विभिन्न हिस्सों का भारी आयात हुआ है; यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;
(ग) क्या आयातित खिलौनों की गुणवत्ता बहुत कम और खतरनाक है जिससे भारत में बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है;
(घ) यदि हां, तो क्या आयातित खिलौनों के संबंध में गुणवत्ता नियंत्रण आदेश और अनिवार्य नमूना परीक्षण को लागू करने की तत्काल आवश्यकता है;
(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
(च) वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप नवाचार और नए युग के डिजाइन को प्रोत्साहित करने के लिए स्वदेशी खिलौनों को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 14.12.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 114 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): सरकार ने घटिया और असुरक्षित खिलौनों के आयात पर प्रतिबंध लगाने और स्वदेशी खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरुप, भारतीय बाजार में खिलौनों के आयात की मात्रा में सतत रुप से कमी का रुझान देखा गया है। भारत में खिलौनों (एचएसएन कोड 9503, 9504, 9505) का आयात वर्ष 2014-15 के 332.55 मिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में लगभग 67 प्रतिशत घटकर वर्ष 2021-22 में 109.72 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। भारत से खिलौनों (एचएसएन कोड 9503, 9504, 9505) का निर्यात वर्ष 2014-15 के 96.17 मिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में लगभग 240 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2021-22 में 326.63 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।

(ग): उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने अपने अधीन आने वाले स्वायत्त निकाय भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआई) मिस्ट्री शॉपिंग करने तथा जांच करने में संलग्न है ताकि बाज़ार में खिलौनों की गुणवत्ता का आकलन किया जा सके। यह कार्य सितंबर से नवंबर, 2019 के दौरान किया गया था। 121 प्रकार के खिलौने खरीदे गए थे तथा जांच हेतु एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशालाओं को सौंपे गए थे। क्यूसीआई द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में यह पाया गया था कि:

(i) प्लास्टिक के लगभग 30 प्रतिशत खिलौने थैलेट, भारी धातु आदि के स्वीकार्य स्तर के सुरक्षा मानदंडों को पूरा करने में असफल रहे।

(ii) 80 प्रतिशत खिलौने मेकैनिकल और भौतिक सुरक्षा संबंधी कारकों पर असफल रहे।

(iii) 45 प्रतिशत सॉफ्ट टॉयज़ थैलेट के स्वीकार्य स्तर पर असफल रहे।

(iv) इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के मामले में असफलता की दर 75 प्रतिशत थी।

(v) कुल मिलाकर केवल 33.10 प्रतिशत खिलौने सभी परीक्षणों में सफल हुए जबकि असफलता दर 66.90 प्रतिशत थी।

(घ) और (ङ): इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं:

1. विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने अधिसूचना संख्या 33/2015-2020, दिनांक 02.12.2019 के जरिए प्रत्येक खेप की नमूना जांच का अधिदेश दिया है तथा गुणवत्ता जांच के सफलतापूर्वक पूरा होने तक बिक्री के लिए कोई अनुमति नहीं दी जाती है। असफल रहने पर आयातक के खर्चे पर या तो खेप को वापस भेज दिया जाता है अथवा नष्ट कर दिया जाता है।
2. फरवरी, 2020 से खिलौनों (एचएस कोड- 9503) पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है।
3. दिनांक 25/02/2020 को खिलौनों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किया था जिसके जरिए दिनांक 01/01/2021 से खिलौनों को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के अनिवार्य प्रमाणन के तहत लाया गया है। आदेश के अनुसार, प्रत्येक खिलौने को संगत भारतीय मानक की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा तथा उस पर बीआईएस (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 की स्कीम-1 के अनुसार बीआईएस से लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा। यह आदेश घरेलू विनिर्माताओं के साथ-साथ भारत में अपने खिलौनों का निर्यात करने के इच्छुक विदेशी विनि र्माताओं पर लागू है।

3.1 खिलौनों संबंधी क्यूसीओ को दिनांक 11.12.2020 को संशोधित किया गया था ताकि विकास आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय के पास पंजीकृत कारीगरों द्वारा और पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय द्वारा भौगोलिक संकेतक के तौर पर पंजीकृत उत्पाद के पंजीकृत स्वामी और प्राधिकृत उपयोगकर्ता द्वारा भी विनिर्मित और बेचे जाने वाली सामग्री और वस्तुओं को छूट दी जा सके।

3.2 सूक्ष्म विनिर्माण इकाइयों को जांच सुविधा तथा आंतरिक जांच सुविधा की स्थापना के बिना एक वर्ष तक लाइसेंस प्रदान करने के लिए बीआईएस द्वारा दिनांक 17.12.2020 को विशेष प्रावधान अधिसूचित किए गए थे।

3.3 बीआईएस ने खिलौनों के स्वदेशी विनिर्माताओं को बीआईएस मानक चिह्न वाले 1001 लाइसेंस तथा विदेशी विनिर्माताओं को 28 लाइसेंस जारी किए हैं।

3.4 वर्तमान में बाज़ार में उपलब्ध खिलौनों की जांच के लिए बीआईएस ने वर्ष 2022 में खिलौनों के 2077 नमूने लिए। इनमें से, 82 प्रतिशत नमूने संगत मानदंडों के अनुसार सभी परीक्षणों पर खरे उतरे।

4. सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण वर्ष 2019 से 2022 तक के खिलौनों की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है।

(च): सरकार ने नवप्रयोग तथा आधुनिक डिजाइन को वैश्विक आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने को प्रोत्साहित करने के लिए, भारत में घरेलू खिलौनों को बढ़ावा देने हेतु अनेक कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ कदम **अनुबंध-क** में दिए गए हैं।

***

अनुबंध-क

दिनांक 14.12.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 114 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

<u>स्वदेशी खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम</u>

1. भारतीय मूल्यों, संस्कृति और इतिहास पर आधारित खिलौनों को बढ़ावा देने; खिलौनों को शिक्षा के साधन के रूप में इस्तेमाल करने; खिलौनों की डिज़ाइनिंग और विनिर्माण के लिए हैकथॅन और ग्रैंड चैलेंज आयोजित करने; खिलौनों की गुणवत्ता की जांच, घटिया गुणवत्ता वाले तथा असुरक्षित खिलौनों में आयात को प्रतिबंधित करने; स्वदेशी खिलौना क्लस्टरों का संवर्धन करने; भारत में निर्मित खिलौनों को बढ़ावा देने हेतु स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा खिलौनों के विनिर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने खिलौनों के लिए व्यापक राष्ट्रीय मास्टर प्लान तैयार किया है।

2. शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तैयार की है जो खेल तथा क्रियाकलाप आधारित शिक्षा पर फोकस करती है। एनसीईआरटी द्वारा 'खिलौना आधारित शिक्षा पद्धति' पर एक हैंडबुक प्रकाशित की गई है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों के लिए सीखने की प्रक्रिया मनोरंजक बने। यह विशेषरूप से खिलौनों को, स्वदेशी खिलौनों की समृद्ध परंपरा तथा विभिन्न चरणों में इस्तेमाल किए जाने वाले खेलों के आधार पर निर्धारित करती है ताकि छोटे बच्चों में अनेक प्रकार की क्षमताओं का विकास हो सके।

3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने परंपरागत उद्योगों के पुनर्निर्माण के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति) के तहत भारत सरकार की **55.65** करोड़ रूपए की सहायता से **19** खिलौनों क्लस्टरों को अनुमोदित किया है जिसमें **11749** शिल्पकार शामिल हैं जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**खिलौना क्लस्टर का नाम**	**राज्य**	**जिला**	**विनिर्मित किए जाने वाले खिलौने का प्रकार**	**कुल शिल्पकार**	**भारत सरकार की सहायता (लाख रूपए में)**
1.	कोंडापल्ली काष्ठ खिलौना क्लस्टर	आंध्र प्रदेश	कृष्णा	लकड़ी के खिलौने	231	132.85
2.	सागर वुडक्रॉफ्ट क्लस्टर	कर्नाटक	शिवमोगा	लकड़ी के खिलौने	580	229.48
3.	चन्नापटना लैकवेयर खिलौना क्लस्टर	कर्नाटक	रामनगर	लकड़ी के खिलौने	250	239.12
4.	सॉफ्ट टॉयज़ एवं स्पोर्ट्सवेयर क्लस्टर	मध्य प्रदेश	शाजापुर	सॉफ्ट टॉयज़, यूनीफॉर्म, स्पोर्ट्सवेयर, बैग, शर्ट	755	380.6
5.	बांस आधारित घरेलू खिलौना क्लस्टर	मध्य प्रदेश	बालाघाट	बांस से बने खिलौने	760	303.36
6.	खिलौना क्लस्टर बुदनी	मध्य प्रदेश	सिहोर	लकड़ी के खिलौने, उपयोगिता उत्पाद, घर की सजावट का सामान आदि	374	250

क्र. सं.	खिलौना क्लस्टर का नाम	राज्य	जिला	विनिर्मित किए जाने वाले खिलौने का प्रकार	कुल शिल्पकार	भारत सरकार की सहायता (लाख रूपए में)
7.	काष्ठ आधारित खिलौना क्लस्टर	मध्य प्रदेश	रिवाड़ी	लकड़ी से बने शिक्षा संबंधी खिलौने	703	335
8.	परंपरागत भारतीय बांस और काष्ठ आधारित खिलौना क्लस्टर	मध्य प्रदेश	मांडला	बांस और लकड़ी के खिलौने	776	363.35
9.	काष्ठ आधारित पारंपरिक भारतीय खिलौने और संबद्ध फैब्रिक आधारित सहायक सामग्री क्लस्टर	मध्य प्रदेश	सिहोर	लकड़ी के खिलौने, बोर्ड गेम्स, शिक्षा संबंधी खिलौन	812	299.23
10.	बांस शिल्प और बांस खिलौना क्लस्टर	मध्य प्रदेश	रतलाम	बांस से बने आभूषण, बोतलें, फर्नीचर, सजावट का सामान	701	347.702
11.	सॉफ्ट टॉय क्लस्टर	मध्य प्रदेश	बारवानी	सॉफ्ट टॉयज़	1005	352.04
12.	इंदौर महिला परिधान चमड़े के खिलोने और जूट उत्पाद क्लस्टर	मध्य प्रदेश	इंदौर	ज़री-ज़रदोज़ी बढ़ाई के परिधान, चमड़े के खिलौने तथा जूट आधारित उपहार	332	195.24
13.	प्लश ट्वाय क्लस्टर	महाराष्ट्र	परभनी	प्लश टॉयज़	1050	387.73
14.	परंपरागत भारतीय फैब्रिक आधारित खिलौना क्लस्टर	राजस्थान	श्रीगंगानगर	फैब्रिक आधारित टॉयज़/ बच्चों का सामान	819	291.66
15.	दीप हस्तशिल्प	राजस्थान	उदयपुर	लकड़ी के खिलौने, लकड़ी से बनी	250	150.017

क्र. सं.	खिलौना क्लस्टर का नाम	राज्य	जिला	विनिर्मित किए जाने वाले खिलौने का प्रकार	कुल शिल्पकार	भारत सरकार की सहायता (लाख रूपए में)
	काष्ठ खिलौना क्लस्टर			सहायक वस्तुएं, लकड़ी का किचन, बरतन और लकड़ी से बना सजावटी सामान		
16.	काष्ठ शिल्प क्लस्टर	राजस्थान	जोधपुर	उपहार, खिलोने आदि	889	395.23
17.	ताड़ के पत्तों के खिलौने और चमड़ा उत्पाद क्लस्टर	तमिलनाडु	वेल्लोर	ताड़ के पत्तों से बने खिलौने, सजावट का सामान, हैंडबैग, उपयोगिता का सामान, चमड़ा उत्पाद	460	232
18.	काष्ठ के खिलौने और कार्विंग क्लस्टर	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट	लकड़ी के खिलौने और कार्विंग	752	451.11
19.	लखनऊ सॉफ्ट टॉय क्लस्टर	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	खिलोनों के विभिन्न प्रकार, आकार तथा डिजाइन	250	229.7

4. वस्त्र मंत्रालय ने खिलौना शिल्पकारों के समग्र विकास के लिए देशभर में 13 खिलौनों क्लस्टरों को निम्नानुसार चिह्नित किया है:

क्र. सं.	राज्य	जिला और क्लस्टर का स्थान (गांव और ब्लॉक)	शिल्प	विशेषताएं
1	कर्नाटक	चन्नापटना, रामनगरम	लाख से बने खिलौने	जीआई के तहत पंजीकृत
2	कर्नाटक	किन्हल, कोप्पल	किन्हल खिलौने	जीआई के तहत पंजीकृत
3	आंध्र प्रदेश	कोंडापल्ली, कृष्णा	कोंडापल्ली खिलौने	जीआई के तहत पंजीकृत
4	आंध्र प्रदेश	एटिकोपक्का, कलशपटनम, विशाखापटनम	एटिकोपक्का खिलौने	जीआई के तहत पंजीकृत
5	तेलंगाना	निर्मल	निर्मल खिलौने	जीआई के तहत पंजीकृत
6	तमिलनाडु	मरिअम्मनकोइल, तंजौर	तंजौर गुड़िया	जीआई के तहत पंजीकृत

7	आंध्र प्रदेश	कडप्पा, लक्ष्मीगड़ीपल्ली	राजा रानी गुड़िया	जीआई के तहत पंजीकृत नहीं
8	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	लकड़ी से बने खिलौने	जीआई के तहत पंजीकृत
9	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट	लकड़ी से बने खिलौने	जीआई के तहत पंजीकृत नहीं
10	राजस्थान	जयपुर	कठपुतली	जीआई के तहत पंजीकृत
11	असम	धुबरी, अशारीकंडी	टेरिकॉटा खिलौने	जीआई के तहत पंजीकृत नहीं
12	मणिपुर	कीबुल संग्राम, लीकाई, बिष्णुपुर	खिलौने (पेपर मैशी और टेरिकॉटा)	जीआई के तहत पंजीकृत नहीं
13	मध्य प्रदेश	इंदौर	चमड़े से बने खिलौने	जीआई के तहत पंजीकृत

5. शिक्षा मंत्रालय ने, खिलौना उद्योग द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के व्यापक समाधान खोजने के लिए टॉयकैथॉन 21 का आयोजन किया जो 6 मंत्रालयों और विभागों का एक विशिष्ट प्रयास है। 1.2 लाख से अधिक व्यक्तियों ने इस समारोह के लिए पंजीकरण किया तथा 17,000 से अधिक आइडिया प्रस्तुत किए और 50 लाख रुपए तक के पुरस्कार जीतने के लिए 13,900 टीमों का गठन किया गया।

6. 27 फरवरी से 04 मार्च, 2021 तक वर्चुअल टॉय फेयर का आयोजन किया गया था। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 1074 प्रदर्शक इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म से जुड़े जिनमें 68 क्लस्टर शामिल थे। 11 राज्यों ने 'भागीदार राज्य' के रूप में भागीदारी की। 25 लाख से अधिक लोगों ने इस मेले में हिस्सा लिया। दुनियाभर से आए 103 प्रबुद्ध वक्ताओं ने 41 सत्रों/वेबीनार में भाग लिया।

7. डीपीआईआईटी ने नवप्रयोगकर्ताओं और खिलौना विनिर्माताओं के बीच सार्थक बातचीत को संभव बनाने के लिए 4-5 जनवरी, 2022 को 'टॉय बिजनस लीग' का आयोजन किया जिसका उद्देश्य टॉयकेथॅन 2021 के विजेताओं के लिए समन्वय के अवसरों का निर्माण करना तथा भारतीय मूल्यों, संस्कृति और इतिहास पर आधारित खिलौनों की डिजाइनिंग का विजन पूरा करना था।

8. भारत सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत, यूएई भारतीय खिलौनों के निर्यात के लिए शुल्क रहित बाज़ार पहुंच प्रदान करता है। सीईपीए 1 मई, 2022 से लागू हुआ है।

9. भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ईसीटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत, आस्ट्रेलिया भारतीय खिलौनों के निर्यात के लिए शुल्क रहित बाज़ार पहुंच प्रदान करता है। ईसीटीए 29 दिसंबर, 2022 से लागू होगा।

*****